श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की दि0 30.09.2019 को मंथन सभागार में आयोजित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री राजीव भरतरी, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. श्रीमती रंजना काला, नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण।
3. श्री डी0जी0के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी।
4. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
5. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
11. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
12. श्री जे0सी0 जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
13. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
14. श्री महेन्द्र कुंवर, प्रतिनिधि–हिमालयन एक्शन रिसर्च, सेन्टर, एन0जी0ओ0, देहरादून।
15. श्री संतोष रावत, प्रतिनिधि–उज्जवला, एन0जी0ओ0, कोटद्वार।
16. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ बैठक प्रारम्भ की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की स्थापना व इसकी पृष्ठभूमि से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी होने के उपरान्त नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा के सफल संचालन

हेतु नवगठित कार्यकारी समिति के स्वरूप से समिति को अवगत कराया गया। सदस्यों को कार्यकारी समिति के शासन द्वारा नामित गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

कार्यकारी समिति में जिला स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के रूप में शासन द्वारा नामित 02 सदस्यों के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में घोषित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा के आलोक में पूर्व में चयनित जिला स्तरीय पंचायतों के भंग होने के कारण इनकी पंचायतों की सदस्यता भी समाप्त हो गई है, अतः उक्त सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया है। तत्पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा CAF Act, 2016 की धारा–19 में उल्लिखित कार्यकारी समिति के दायित्वों एवं शक्तियों से अवगत कराया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.1:

दिनांक 08.01.2019 को सम्पन्न हुई प्रथम कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को आयोजित कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.2: CAF Act, 2016 के मुख्य बिन्दु :

2.2.1 बैठक में CAF Act, 2016 व CAF Rules, 2018 के प्राविधानों पर चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यगणों को नये प्राविधानों के अंतर्गत एन0पी0वी0 मद में क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की श्रेणी के अंतर्गत अनुमन्य गतिविधियों से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त CAF Rules, 2018 के नियम–4 में उल्लिखित कैम्पा के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबन्धित गतिविधियों की सूची भी सदस्यगणों के साथ साझा की गई।

2.2.2 अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन द्वारा कार्ययोजनाओं/प्रबन्ध योजनाओं के निर्माण हेतु कैम्पा निधि से धनराशि उपलब्ध न कराए जाने व इसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इसे कार्ययोजना में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में उनके स्तर से प्राप्त निर्देशों को समिति के समक्ष रखते हुए इस पर चर्चा की गई। साथ ही उनके द्वारा आग्रह किया गया कि इस हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा भारत सरकार के समक्ष अनुरोध किया जाए। सदस्य–सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 की

कार्ययोजना के निरूपण सम्बन्धी राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में उनके द्वारा राज्य का पूरी तरह से पक्ष रखा गया था, साथ ही अन्य राज्यों द्वारा भी इसका पुरजोर समर्थन करते हुए राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति से इसे कार्ययोजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु समिति द्वारा कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना हेतु वित्त पोषण विभाग के स्तर से ही किये जाने एवं इसके लिए धनराशि का प्राविधान किए जाने पर पूर्ण असहमति जताई गई। समिति तद्नुसार अवगत हुई।

2.2.3 सदस्य–सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अधिनियम की धारा– 5(a) अनुसार राष्ट्रीय कैम्पा के पास उपलब्ध कैम्पा के राज्यांश की 90 प्रतिशत की धनराशि कैम्पा गठन के उपरान्त राज्य कैम्पा को उपलब्ध कराई जानी है एवं धारा 5(b) अनुसार राष्ट्रीय कैम्पा में राज्य की अवशेष 10 प्रतिशत की धनराशि को राष्ट्रीय कैम्पा के प्रबन्धन में आवर्ती व अनावर्ती व्यय, अनुश्रवण मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं के उपयोग हेतु सुरक्षित रखी जाएगी।

2.2.4 उपरोक्त के क्रम में समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त मत व्यक्त किया गया कि अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार राष्ट्रीय कैम्पा के प्रबन्धन एवं अनुश्रवण मूल्यांकन हेतु रखी गई 10 प्रतिशत की धनराशि अधिक है। अतः इसमें सुझाव दिया गया कि भारत सरकार को इसकी 5 प्रतिशत की धनराशि राष्ट्रीय कैम्पा में एवं शेष 5 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया जाए। इसके अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियां धारा– 5(b) के अनुसार राज्य प्राधिकरण के अनुश्रवण मूल्यांकन एवं राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत अन्य विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन (अनुमन्य गतिविधियों हेतु) में उपयोग की जा सकती हैं।

2.2.5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में उत्तराखण्ड कैम्पा स्तर से भारत सरकार के स्तर पर आयोजित बैठकों एवं विभिन्न पत्राचार के माध्यम से राज्य का पक्ष रखा गया है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में पुनः यथासम्भव प्रयास किए जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया। सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि कैम्पा गतिविधियों के सफल संचालन हेतु इसके अंतर्गत किए गये कार्यों के समानान्तरण अनुश्रवण की अनिवार्यता के दृष्टिगत अनुश्रवण हेतु वाहनों का क्रय, POL आदि के प्राविधान हेतु भी भारत सरकार से अनुरोध किया जाए।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.3: CAF Rules, 2018 के मुख्य बिन्दु।

सदस्यगणों को CAF Act, 2016 की धारा–30(1) व 30(2) के अंतर्गत अधिनियम के प्रायोजन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 के प्राविधानों से अवगत कराया गया।

इसमें समिति को नियमावली के नियम–2 के अनुसार एन0पी0वी0 की 80 प्रतिशत तक की धनराशि हेतु अनुमन्य गतिविधियों व नियम–3 के अनुसार एन0पी0वी0 की 20 प्रतिशत तक की धनराशि की अनुमन्य गतिविधियों व नियम–4 के अनुसार भारत सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबन्धित गतिविधियों की सूची से अवगत कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त समिति को CAF Rule-2018 के नियम–36 से भी अवगत कराया गया जिसके अनुसार राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति व संचालन समिति की संस्तुति उपरांत प्रत्येक वर्ष की कार्ययोजना को 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कैम्पा, कार्यकारी समिति, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ को प्रस्तुत किया जाना है। जिसके अनुपालन में वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना को निर्धारित प्रारूप में जोनल स्तर की संस्तुति सहित दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 तक उत्तराराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से विभिन्न पत्र प्रेषित किये गये है। जोनल स्तर से संकलित वार्षिक कार्ययोजनाएं प्राप्त होनी अपेक्षित हैं।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.4: प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि के क्रियान्वयन सम्बन्धी की गई अद्यतन कार्यवाहियां।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यगणों को CAF Act, 2016 के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर अब तक की गई निम्नानुसार कार्यवाही से अवगत कराया गयाः–

- CAF Act, 2016 की धारा 10(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर अधिसूचना के माध्यम से 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि और योजना प्राधिकरण' का गठन किया गया है।
- अधिनियम की धारा 4(1) के तहत दिनांक 28 सितम्बर, 2018 की उत्तराखण्ड शासन के स्तर से निर्गत अधिसूचना के माध्यम से 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' का गठन किया गया है।
- अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, (भा0व0से0) सेवानिवृत प्रमुख वन संरक्षक एवं धारा 11(3) के अन्तर्गत कार्यकारी समिति में 02 गैर सरकारी संगठनों (हिमालयन एक्शन रिसर्च एन0जी0ओ0, देहरादून एवं उज्जवला, गैर सरकारी संगठन कोटद्वार) एवं 02 जिला स्तरीय पंचायती राज संगठनों के प्रतिनिधियों को नामित किये जाने संबंधी अधिसूचना भी उत्तराखण्ड शासन के

स्तर से दिनांक 09 जुलाई, 2019 को निर्गत की गई है।

- भारत सरकार के स्तर से अधिसूचित लेखा प्रक्रिया अनुसार प्रदेश स्तर पर कैम्पा निधि में जमा कराए जाने तथा व्यय किये जाने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सिविल डिपोजिट सहित समस्त लेखाशीर्षकों के खोले जाने संबंधी समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई है।
- उक्तानुसार खोले गये सिलिव डिपोजिट एकाउंट में राष्ट्रीय कैम्पा स्तर से दिनांक 28 अगस्त, 2019 को उत्तराखण्ड राज्य का राज्यांश रु0 2675.09 करोड़ की धनराशि प्राप्त की जा चुकी है।
- कैम्पा निधि के Payment Gateway के उद्देश्य से SCRIPS (State CAMPA Receipts Portal System से लिंक किये जाने संबंधी भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर, इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन के स्तर से राज्य सरकार के IFMS (Integrated Financial Management System) को SCRIPS से एकीकृत किये जाने के संबंध में भारत सरकार को आपना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.5: वित्तीय वर्ष 2018–19 की प्रगति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यों को वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना का आकार रु0 31830.00 लाख था जिसके सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को कुल रु0 13162.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा कुल रु0 11908.96 लाख की धनराशि का व्यय किया गया, जो कि अवमुक्त धनराशि का 90 प्रतिशत है।

सदस्यगण उक्त से अवगत हुए। सदस्य–सचिव द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की प्रथम बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये थे कि वार्षिक कार्ययोजना का आकार realistic रखा जाना चाहिए। इसे दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित कार्ययोजना का आकार सीमित रखा गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.6: वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष प्रगति।

2.6.1 वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गत वर्षों के अनुभव के आधार पर क्रियान्वयन अभिकरणों की व्यय की क्षमता एवं कैम्पा कार्यों की महत्वपूर्ण गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019–20 हेतु संचालन समिति द्वारा रु0 20800.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को संस्तुत कर राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार की कार्यकारी समिति को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त संचालन समिति द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि से रु0 1000.00 लाख की धनराशि का कैम्पा प्रबन्धन एवं अनुसूचित दरों में वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण,

दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान आदि मदों में प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.6.2 राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति, भारत सरकार द्वारा संशोधन उपरान्त वर्ष 2019–20 हेतु कुल रु0 21310.21 लाख (रु0 1000.00 लाख का प्राविधान अर्जित ब्याज से कैम्पा के प्रबन्धन एवं अनुसूचित दरों में वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान आदि मदों में प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधान) की धनराशि की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2.6.3 स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष दिनांक 30.09.2019 तक रु0 7771.59 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। नवीनतम एम0आई0एस0 प्रविष्टि के अनुसार क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा रु0 1188.51 लाख की धनराशि का व्यय कर लिया गया है। सदस्य–सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 के समय पर आरम्भ होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड कैम्पा विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को समुचित धनराशि अवमुक्त करने में सफल रही है।

2.6.4 सदस्य–सचिव द्वारा वर्ष 2019–20 में क्रियान्वित हो पा रही मुख्य गतिविधियां पर प्रकाश डाला गया जिसके अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान, वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा, जल स्रोतों का पुनरोद्धार, नदियों का पुनर्जीवन, बुग्याल संरक्षण, बन्दर जनित समस्या निराकरण आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया।

वर्षा जल संरक्षण विषय पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस वर्ष प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण गतिविधियों के उचित प्रभाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जल स्रोतों के पुनरोद्धार को प्राथमिकता पर लिया गया। जल स्रोतों का चयन एवं संरक्षण कार्यों के प्रभाव के अध्ययन हेतु वन मुख्यालय स्तर पर Springshed Management Consoritium (SMC) का गठन किया गया जिसमें वन विभाग सहित, जल व संरक्षण कार्य करने वाले जल संस्थान, जल निगम व अन्य रेखीय विभाग, जल विज्ञान विशेषज्ञ व कई गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं। कई बैठकों, चर्चाओं व प्रत्येक स्रोत पर किए गये वैज्ञानिक अध्ययन के उपरान्त 57 जल स्रोतों पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त कार्य हेतु कुल 225 जल स्रोतों की तैयार की गई सूची में से प्रथम चरण में उन जल स्रोतों को प्राथमिकता पर चयनित किया गया है जो आबादी के निकट हैं व जिनके पुनरोद्धार का सीधा लाभ उक्त आबादी क्षेत्र को प्राप्त होगा।

2.6.5 **बुग्यालों के संरक्षण** के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों का मत था क्या इसमें केवल बुग्यालों की पहचान का कार्य किया जाएगा? इस पर सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त गतिविधि के अंतर्गत बुग्यालों का पुनरोद्धार किया जाएगा जिसमें भूमि एवं जल संरक्षण कार्य, काला बांसा उन्मूलन, भूमि कटाव का उपचार आदि स्थानीय निवासियों के सहयोग से किया जाएगा। ऐसे बुग्याल जहां संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता पर आवश्यकता है, का विवरण प्रभागों की कार्ययोजनाओं/प्रबन्ध योजनाओं में उपलब्ध है व उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। सदस्य–सचिव द्वारा बुग्यालों के संरक्षण मद में वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र में लगाई गई शर्त के सम्बन्ध में भी सदस्यों को अवगत कराया गया, जिसके अनुसार बुग्यालों के संरक्षण हेतु प्राविधानित रु0 400.00 लाख की धनराशि को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करने एवं इसके क्रियान्वयन से पूर्व इस हेतु वन विभाग के स्तर से एक विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने व

इसका अनुमोदन प्रदान करने की शर्त रखी गई है। साथ ही प्रस्तावित स्थलों की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर Geo Mapping किये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

2.6.6 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम विषय पर भी बैठक में गम्भीर चर्चा हुई। विशेषकर बन्दरों की समस्या से निपटने हेतु प्रदेश में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सदस्य–सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कैम्पा के वित्त पोषण से तीन स्थानों पर बन्दर बन्ध्याकरण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बन्दरों को शहरी/आबादी से पकड़कर दूरस्थ जंगलों में छोड़ने हेतु भी धनराशि प्रभागों को उपलब्ध कराई जा रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु दीवारों के निर्माण से जंगली पशुओं के निर्बाध आवागमन में आने वाली समस्या को देखते हुए इनके विकल्प पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों, विशेषकर शासन के विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.7: वित्तीय वर्ष 2018–19 की बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2018–19 की बैलेन्स शीट प्रस्तुत की गई व सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड कैम्पा को भारत सरकार से रु0 303.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई व वर्ष में रु0 27.33 करोड़ की धनराशि अर्जित ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त रु0 119.19 करोड़ की धनराशि का व्यय वर्ष 2018–19 में दर्ज किया गया व कैम्पा प्राधिकरण के प्रबन्धन पर रु0 1.33 करोड़ की धनराशि व्यय की गई। समिति द्वारा उक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.8: उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक के महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा कराए गये लेखा प्रमाणीकरण/ऑडिट के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव द्वारा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लेखा प्रमाणीकरण पूर्ण किये जाने की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। ऑडिट रिपोर्ट उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु शासन को प्रेषित की गई है। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय चरण में वर्ष 2013–14 व 2014–15 के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य भी महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें उजागर आपत्तियों के निराकरण से सम्बन्धित प्रत्युत्तर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। समिति उक्त से अवगत हुई।

सदस्य–सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण का प्रथम बार लेखा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा लेखों के सम्बन्ध में विशेष अनापत्ति टिप्पणी नहीं की गई है। इसमें सामान्यतः वित्तीय उपाशय सम्बन्धी प्रक्रियात्मक व सुधारात्मक Comments किये गये हैं।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 2.9: कैम्पा निधि के उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था।

कैम्पा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में सदस्य–सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा नई व्यवस्था लागू होने तक वर्तमान में पूर्व की व्यवस्था को दिनांक 30.09.2019 तक विस्तारित किया गया है। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रसारित कर दिया गया है।

सदस्य–सचिव द्वारा अगले वित्तीय वर्ष हेतु कैम्पा निधि के Transaction हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से प्रस्तावित Fund Flow के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि :– दिनांक 28.08.2019 को भारत सरकार द्वारा राज्यांश की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी बैठक में उक्त Fund Flow को मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रक्रिया को अपनाए जाने के दृष्टिगत Fund Flow पर समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त इस पर अपनी सहमति देते हुए इसे संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा सभी सदस्यों को कैम्पा की गतिविधियों को field में देखने हेतु आमंत्रित किया व उनसे कैम्पा क्रियान्वयन के और प्रभावी बनाए जाने हेतु सुझाव आमंत्रित किए। सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

अनुमोदित

(जय राज)
अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड